

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020

इस संहिता का उद्देश्य देश में बहुसंख्य श्रमिकों के लिए सुरक्षित और बेहतर कार्यदशाएँ सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधायी ढांचा प्रदान करना है। यह संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा से संबंधित मौजूदा 13 श्रम कानूनों नामतः कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996; बागान श्रमिक अधिनियम, 1951; मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961; बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976; अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981; गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986; श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 और श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी की दर का निर्धारण) अधिनियम, 1958 को को सरल और समामेलित करती है। यह संहिता प्रावधानों के दायरे को बढ़ाती है और श्रमिकों के कवरेज को कई गुना बढ़ा देती है। प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए नियोक्ता द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में सीधे तौर पर नियुक्त किए गए अथवा लगाए गए श्रमिकों को शामिल करने हेतु अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार की परिभाषा को विस्तृत किया गया है, इस प्रकार प्रवासी श्रमिकों को कई तरह से लाभ मिल सकते हैं।

इस संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि कामगारों को उनकी सहमति के बिना समयोपरि कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारित मानदंडों के अध्यधीन श्रमिकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच निर्धारित करके श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने का भी प्रस्ताव रखता है जिसकी लागत को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इससे व्यावसायिक रोगों का समय पर पता लगाया जा सकेगा और इलाज किया जा सकेगा, इस प्रकार श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सकेगा।

इस संहिता के आगमन के साथ रजिस्ट्रारों / रिटर्न / प्रपत्रों की संख्या कम हो जाएगी जिससे अधिक पारदर्शिता के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। ठेका श्रम अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्य आदेश के खिलाफ कई लाइसेंस जारी करने / प्राप्त करने के मौजूदा तंत्र को प्रतिस्थापित करते हुए 5 साल की अवधि के लिए वैध एक एकल अखिल भारतीय लाइसेंस की शुरुआत और स्टार्ट-अप की तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट करना व्यवसायों के विकास के लिए और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करेगा।

इस संहिता में ऑडियो-विजुअल और डिजिटल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशा को भी संबोधित किया गया है। सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार अधिनियम, 1981 में जो प्रावधान वर्तमान में सिनेमा और थियेटर कामगारों तक सीमित है, को सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त सभी श्रव्य-दृश्य (ऑडियो विजुअल) कामगारों नामतः अभिनेता, संगीतकार, गायक, एंकर, नर्तकों, स्टंट करने वालों सहित डबिंग कलाकारों, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी रूपों के सभी कुशल / अकुशल / मैनुअल / पर्यवेक्षी / तकनीकी कार्मिकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-पेपर प्रतिष्ठान, रेडियो, आदि में काम करने वाले समाचार वाचकों सहित सभी पत्रकारों को शामिल करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा को बढ़ाया गया है।

श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने का अनिवार्य प्रावधान संहिता में शामिल किया गया है। इससे श्रमिकों को लाभ होगा क्योंकि नियुक्ति पत्र रोजगार और अनुभव का प्रमाण होगा। इसके अलावा, संहिता उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित उनकी सुरक्षा, उनकी सहमति,

छुट्टियों का पालन, काम के घंटे या किसी अन्य शर्त से संबंधित शर्तों के अध्यक्षीन महिला श्रमिकों को रात, अर्थात् शाम 7.00 बजे से सुबह 6 बजे तक, में काम करने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाती है।

यह अधिनियम कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण एवं कार्यदशाओं से संबंधित विषयों में तकनीकी परिवर्तन और परिवर्तनात्मक कारकों को अनुकूल बनाने को मान्यता प्रदान करता है।

यह संहिता खान तथा डॉक (पत्तन) से संबंधित स्थापन से भिन्न 10 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापन पर लागू होगा।

सभी स्थापनों के लिए रजिस्ट्रीकरण की धारणा का उपबन्ध भी इस संहिता में है।

श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-पेपर या रेडियो पत्रकारों को सम्मिलित किया गया है।

संहिता की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं: नियोक्ता द्वारा अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करने का उपबन्ध, कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का उपबन्ध, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों को स्वघोषणा के आधार पर पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत करना, सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी स्थापनों में महिलाओं के नियोजन का उपबन्ध, ठेका श्रमिक नियोजन हेतु पाँच वर्ष के लिए लाइसेंस जारी करना, तथा असंगठित कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का उपबन्ध।

परिभाषाएँ

ऑडियो विजुअल कर्मकार:

वह कर्मकार जो अभिनेता, संगीतकार, गायक, एंकर, समाचार वाचक, नर्तक, डबिंग कलाकार या स्टंट व्यक्ति के रूप में ऑडियो-विजुअल उत्पादन में या उसके संबंध में काम करने के लिए या कोई भी काम, कुशल, अकुशल, मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी, कलात्मक या अन्यथा करने के लिए सीधे या किसी ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत है, और ऑडियो-विजुअल के उत्पादन के संबंध में या उससे संबंधित रोजगार के संबंध में उसका पारिश्रमिक, चाहे मासिक वेतन के रूप में हो या एकमुश्त भुगतान के रूप में, प्रत्येक मामले में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं है।

जब तक कोई लिखित अनुबंध न हो कोई ऑडियो विजुअल कर्मकार नियुक्त नहीं किया जाएगा और ऐसा अनुबंध सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाएगा।

भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य:

भवनों, मार्गों, सड़कों, रेल-पथ, ट्राम-पथ, हवाई मैदानों, जलविकास, तटबंध और नौ परिवहन सकर्म, बाढ़ नियंत्रण सकर्म, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, जल सकर्म, तेल और गैस प्रतिष्ठान, विद्युत-लाइन, इंटरनेट टावर, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ एवं विदेश संचार माध्यम, बाँध-नहर, मीनार, शीतलन मीनार, पारेषण मीनार और ऐसे अन्य कार्य जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये के संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य हैं। किसी कारखाना या खान के द्वारा अपने निवास के प्रयोजन के लिए किया जाने वाला भवन निर्माण, जिसकी लागत ₹50,00,000/- से अधिक न हो तथा नियोजित कर्मकारों की संख्या समुचित सरकार द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक न हो, भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य नहीं होगा।

कोर एक्टिविटी:

ऐसा क्रिया-कलाप जिसके लिए स्थापन की स्थापना की गयी है, इसके अंतर्गत ऐसा क्रिया-कलाप भी सम्मिलित है जो स्थापन के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य भी है।

समाचार पत्र:

ऐसी कोई छपी हुई नियत कालिक कृति जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टीका-टिप्पणी हो और इसके अंतर्गत छपी हुई नियत कालिक कृति और ऐसा कार्य जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए समाचार पत्र होगा।

श्रमजीवी पत्रकार (वर्किंग जर्नलिस्ट):

ऐसा व्यक्ति जिसका मुख्य रोजगार पत्रकारिता है और जो इस हैसियत से या तो पूर्ण कालिक या एक या अधिक समाचार स्थापन अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल मीडिया से संबंधित अन्य स्थानों में नियोजित है, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, संपादक, लेखक, समाचार संपादक, उप संपादक, फोटोग्राफर व अन्य इसी प्रकार का काम करने वाले।

स्थापन का पंजीकरण:

ऐसा कोई स्थान जहाँ कोई ऐसा उद्योग या कारोबार चलाया जाता है, विनिर्माण या व्यवसाय किया जाता है, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र स्थापन आडियो विजुवल स्थापन, भवन और अन्य सन्निर्माण स्थापन, बागान स्थापन, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मकार नियोजित हों स्थापन की परिभाषा में आवर्त होंगे।

संहिता की धारा -3 के अंतर्गत जो इस संहिता के आरंभ होने के पश्चात और जिस पर यह संहिता लागू होगी नियोजक 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराएगा। अवधि समाप्ति के पश्चात विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराया जा सकेगा। इसके साथ ही, स्वामित्व में परिवर्तन, स्थापन बंद होने की सूचना, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के प्रावधान हैं।

नियोजक एवं कर्मचारियों आदि के कर्तव्य:

1. प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल उन खतरों से मुक्त हो जो उन कर्मचारियों को क्षति या उपजीविका जन्य रोग उत्पन्न करते हैं। संहिता के अधीन बनाए गए सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करेगा। धारा-6)। वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा। खतरनाक, विषैले तथा ई-अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार खानों के एजेंट मैनेजर तथा विनिर्माता, रूपकार, परियोजना अभियंता वास्तुविद के कर्तव्य निर्धारित हैं। खतरनाक घटनाओं की और इनसे प्रभावित रोगी की सूचना प्राधिकारी को भेजेगा।

2. प्रत्येक कर्मचारी स्वयं की तथा अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखेगा तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के निर्दिष्ट मानकों का पालन करेगा। जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्वयं या दूसरे के लिए संकट उत्पन्न हो। इसी प्रकार के अन्य कार्य।

राष्ट्रीय ओएसएच बोर्ड:

केंद्र सरकार संहिता के अधीन मानक और विनियमन करने, क्रियान्वयन करने, जीविका जन्य स्वास्थ्य सुरक्षा से संबन्धित नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करेगी।

राज्य सरकार संहिता के प्रशासन से उद्भूत विषयों पर परामर्श देने के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी। (धारा-19, 17)

उपजीविका जन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानक, सुरक्षा समिति और सुरक्षा अधिकारी की व्यवस्था संहिता के अंतर्गत प्रावधानित है

स्वास्थ्य सुरक्षा व कार्यदशाएँ:

नियोजक अपने स्थान में कर्मचारियों के लिए ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा व कार्य की दशाओं के लिए उत्तरदायी होगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएं। केंद्र सरकार निम्न विषयों पर कार्यदशाएँ विहित कर सकेगी: सफाई और स्वच्छता वातायन-व्यवस्था (वेंटीलेशन), ताप एवं आर्द्रता, धूल, हानिकारक गैस, पेयजल, पर्याप्त प्रकाश, पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर हेतु पृथक शौचालय-मूत्रालय की व्यवस्था।

कल्याणकारी उपबन्ध:

उपर्युक्त के समान ही केंद्र सरकार द्वारा विहित किए गए कल्याणकारी सुविधाओं को नियोजक सुनिश्चित करेगा यथा-जहाँ 100 से अधिक संविदाकर्मी हैं, इनके लिए कैंटीन, प्राथमिक उपचार, भवन निर्माण कर्मकारों के लिए अस्थाई आवास सहित। (धारा-24)

मजदूरी सहित काम के घंटे व वार्षिक अवकाश:

एक दिन में 8 घण्टे तथा प्रत्येक दिन में कार्य घण्टे सरकार द्वारा ऐसे नियत किये जाएंगे कि उन्हें कार्य के मध्य अंतराल मिल सके।

परिवहन यान के चालन के दौरान और समनुषंगी कार्य में व्यय किया गया समय अंतिम स्टापों पर केवल हाजिरी की 15 मिनट से कम अवधि काम के घण्टों में सम्मिलित होगा।

श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में चार क्रमवर्ती सप्ताह में अधिकतम 144 घण्टे और सात क्रमवर्ती दिनों के कार्य के पश्चात 24 घण्टे का विश्राम देय होगा (धारा-25)।

सप्ताह में 6 दिन से अधिक कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि कर्मकार किसी भी साप्ताहिक अवकाश से वंचित किया जाता है तो उसे मास में अथवा अगले दो माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश (कंपनसेटरी लीव) दिया जाएगा। (धारा-26)

ओवर टाइम (समयोपरि):

किसी दिन या सप्ताह में निर्धारित कार्य के घण्टे से अधिक कार्य लिए जाने पर दो गुने दर से समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाएगा। (धारा-27)

मजदूरी आदि सहित वार्षिक अवकाश:

नियोजित कर्मकार, जिसने किसी कैलेंडर वर्ष में 100 दिन कार्य किया है तो उसे 20 दिन पर एक अवकाश और सुकुमार कर्मकार (18 वर्ष से कम) को 15 दिन पर 1 अवकाश तथा खनन क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 15 दिन में एक अवकाश देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष के अंत में 30 अवकाश से अधिक होने पर कर्मकार कुल अधिक संख्या के अवकाशों के नगदीकरण का हकदार होगा।

रजिस्टर/अभिलेख का अनुरक्षण:

नियोजक कर्मकारों के कार्य के घण्टे, विश्राम का दिन, मजदूरी तथा इसकी रसीद, ओवरटाइम, सुकुमार का नियोजन सहित रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या जैसा निर्देशित हो, बनायेगा। कर्मकार को वेतन पर्ची दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी रूप से या अन्यथा रूप से रिटर्न निरीक्षक सह सुकरकर्ता को प्रेषित किया जाएगा। (धारा-33)

अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत समुचित सरकार निरीक्षक सह सुकरकर्ता की नियुक्ति करेगी। कारखाना, खान, डॉक-कार्य तथा भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कार्य के लिए निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता को धारा-38 के अंतर्गत यह शक्तियाँ होंगी कि वह स्थापन के किसी भाग के आसपास नियोजित व्यक्तियों या आम जनता को क्षति या मृत्यु के लिए गंभीर परिसंकट उत्पन्न हो सकता है तो वह कारखाना के नियोजक को लिखित आदेश द्वारा कर्मचारियों की संख्या कम करने या किसी व्यक्ति के नियोजन को निसिद्ध करने के निर्देश देगा। यह आदेश 3 दिन के लिए लागू होगा। इससे क्षुब्ध होने पर कोई नियोजक उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

मुख्य निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता और निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता किसी प्रतिष्ठान की सूचनाओं को गोपनीय रखेगा।

महिलाओं के नियोजन के संबंध में विशेष उपबंध:

महिलाएँ इस संहिता के अंतर्गत सभी प्रकार के स्थापनों में नियोजित किए जाने की हकदार होंगी। प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा अपराह्न सात बजे के बाद अपनी सहमति से सुरक्षा, अवकाश, कार्य के घण्टों व अन्य शर्तों के अध्यक्षीन नियोजित हो सकेंगी।

संविदा श्रमिक:

ऐसे स्थापन जहाँ 50 या उससे अधिक संविदा श्रमिक नियोजित हों पर संविदा श्रमिक धारा-45 के प्रावधान लागू होंगे। परन्तु जहाँ पर आकस्मिक और अंतरायिक प्रकृति का कार्य हो वहाँ इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे।

निर्धारित शुल्क सहित धारा-119 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष समुचित सरकार द्वारा विहित रीति से आवेदन करने पर संतुष्ट होने की दशा में लाइसेन्स जारी किया जाएगा जो 5 वर्षों पर नवीनीकृत होगा। प्राधिकारी को लाइसेन्स के निलंबन एवं संशोधन का अधिकार होगा। लाइसेंसिंग अधिकारी/प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होने पर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। कल्याणकारी सुविधाएं यथा-कैंटीन प्रधान नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। (धारा-53)

संविदा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। यदि ठेकेदार विहित अवधि के भीतर मजदूरी का भुगतान करने में असफल रहता है या कम मजदूरी का भुगतान करता है तो प्रधान नियोजक श्रमिक को पूरी मजदूरी या शेष मजदूरी का भुगतान करेगा और इस राशि की वसूली संविदाकार से करेगा। (धारा-55)

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार:

एक राज्य के नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा ठेकेदार के माध्यम से भर्ती व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं एक राज्य से दूसरे राज्य में नियोजन प्राप्त कर लिया हो और रु. 18,000/- से अधिक मजदूरी न प्राप्त कर रहा हो, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार होगा। (धारा-02)

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार के आंकड़े तथा पोर्टल का संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति से किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्व घोषणा के आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेगा। (धारा-21)। इस संहिता के प्रावधान प्रत्येक स्थापन पर लागू जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हों। (धारा-59)

नियोजक प्रत्येक अंतरराज्यीय कर्मकार को उसके निवास स्थान से गंतव्य तक आवगमन के लिए वर्ष में एक बार यात्रा भत्ता देगा।

लोक वितरण प्रणाली:

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार लोक वितरण का लाभ चाहे अपने निवास स्थान अथवा कार्य स्थान पर प्राप्त कर सकेगा। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य करने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार के लाभ की पोर्टेबिलिटी के लिए समुचित सरकार व्यवस्था करेगी।

खान कर्मकार:

प्रत्येक खान एक प्रबंधक के अधीन होगी। हर खान का स्वामी केंद्र सरकार द्वारा विहित योग्यता वाले व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त करेगा।

18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को खान में खान के कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार:

इस संहिता की धारा-119 के अंतर्गत लाइसेन्स लिए बिना बीड़ी या सिगार बनाने का कार्य नहीं कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से नियोजक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन समुचित आधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (धारा-74)

विहित अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होने पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

राज्य सरकार तम्बाकू पत्तों को काटने, धोने, परिसर के बाहर ले जाने हेतु नियोजक को अनुमति दे सकेगी। (धारा-76)

निजी आवास गृहों में स्वनियोजित व्यक्तियों पर इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। (धारा-77)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार:

ऐसे किसी व्यक्ति से जो बधिर या दृष्टि शक्ति त्रुटि या सिर चकराने की प्रवृत्ति हो उसे भवन सन्निर्माण कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

कारखाना:

अपनी सीमाओं में कोई परिसर जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार कार्य कर रहे थे अथवा कर रहे हों और विनिर्माण बिजली की सहायता से किया जा रहा हो या 40 से अधिक कर्मकार जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया बिना बिजली की सहायता से कर रहे हो ऐसा परिसर कारखाना की परिभाषा में आवर्त है।

राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से कारखानों का अनुमोदन एवं अनुज्ञापन किया जाएगा। (धारा-79)

बागान:

कोई भूमि जिसकी नाप 5 हेक्टेयर से अधिक है और चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना या इलायची उगाने के लिए या कोई अन्य पौधा जिसमें केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया हो बागान की परिभाषा में आवर्त है।

नियोजित प्रत्येक कर्मकार हेतु नियोजक आवास सुविधा पेयजल शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराएगा। (धारा-92)। जहाँ 50 से अधिक महिलाएं कार्यरत हों वहाँ शिशु कक्ष और जहाँ 6 से 12 वर्ष के 25 से अधिक बालक हों वहाँ शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा।

अपराध एवं दण्ड (शास्तियाँ):

संहिता की धारा-94 से 109 तक अपराधों के लिए शस्तियाँ प्रावधानित हैं।

परिसीमा:

अभियोग दायर करने के पूर्व निरीक्षक-सह-सुकरकर्ता प्रतिपालन हेतु नियोजक को नोटिस प्रेषित करेगा। प्रतिपालन न होने की दशा में उसके द्वारा 6 माह के अंदर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग दायर किया जा सकेगा। (धारा-110)

समुचित सरकार के अधिकारियों की कतिपय मामले में दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति:

केंद्र सरकार द्वारा विहित रीति से जाँच करने हेतु समुचित सरकार अधिकारी नियुक्त करेगी।

अपराधों का शमन:

जहाँ अपराध केवल दण्ड से दंडित करने का प्रावधान है उन अपराधों का सरकार द्वारा नियुक्ति अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा। यदि शमन अभियोग दायर करने के बाद किया गया है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा और अभियोग नहीं चलेगा। (धारा-114)

सामाजिक सुरक्षा निधि:

समुचित सरकार द्वारा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें शमन की धनराशि एवं समुचित सरकार के अधिकारियों द्वारा अधिरोपित दण्ड की धनराशि जमा की जाएगी। समुचित सरकार द्वारा विहित अन्य तरीकों से भी धनराशि प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकेगी। (धारा-115)

लोक आपात के दौरान छूट प्रदान करने की शक्ति:

लोक आपात संकट अथवा महामारी के समय में समुचित सरकार अधिसूचना के द्वारा संहिता के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट प्रदान कर सकेगी। (धारा-128)
